XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई की तारीख सहित
1	2	3
30.01.2012		

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0–14/2005

कारे लाल यादव, पिता–श्री सुखदेव यादव
सा0–परोरा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

----आवेदक

बनाम

1. गिरिजा नन्द यादव, पिता–श्री सुखदेव यादव
   सा0–परोरा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ
2. राज्य
3. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर
4. अंचल अधिकारी, के0नगर

----विपक्षी

आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 7/03 में दिनांक–28.01.05 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारंभ किया है। आवेदक को मौजा परोरा, थाना नं0 126, 127, 128 खाता सं0 116 खेसरा सं0 2298 रकवा 2.02 एकड़ जमीन पर बटाईदारी वाद सं0 66/88–89 में पारित आदेश द्वारा रैयत घोषित किया गया था। पुनः आवेदक ने अंचल पदाधिकारी के0नगर के न्यायालय में धारा 48 D अन्तर्गत वाद 01/01 दायर किया और अंचल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.02 को आवेदक को रैयत घोषित किया गया। विपक्षी सं0 1 आवेदक का भाई है और उपरोक्त प्रश्नगत जमीन पर अपने हिस्सा की जमीन का नामांतरण हेतु अंचल पदाधिकारी के न्यायालय में आवेदन दिया। इस नामान्तरण वाद सं0 14/03–04 में अंचल पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच के आधार पर विपक्षी के नामान्तरण वाद को खारिज कर दिया। तदुपरांत विपक्षी सं0 1 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 7/03 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया एवं अंचल पदाधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद में पारित आदेश को रद्द किया गया। प्रश्नगत जमीन आवेदक के बटाईदारी वाद द्वारा प्राप्त की गई थी और आवेदक के ही दखल में है। फलस्वरूप निम्न न्यायालय द्वारा नियम के विपरीत आदेश पारित किया गया। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर न्याय प्रदान करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक के द्वारा प्रारंभ किया गया यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक ने अपने वाद पत्र में वास्तविक तथ्यों को छिपाया है। जबकि निम्न न्यायालय में अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किए गए इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 19.07.2010 को सुनवाई की गयी। आवेदक अनुपस्थित रहे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा आवेदक के बराबर अनुपस्थित रहने के कारण वाद को खारिज करने की मांग किया गया। दिनांक 16.06.2010 को अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का अंतिम मौका दिया गया। इसके बाबजूद भी आवेदक न्यायालय में उपस्थित रहना उचित नहीं समझा।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत जमीन उनके शांति

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पूर्ण दखल–कब्जा में है। इस कारण से ही उनके पक्ष में निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। आवेदक के द्वारा जान बुझकर वाद की निष्पादन में विलम्ब करने का मंशा है, इस कारण से उपस्थित होने हेतु उनको कोई रूचि नहीं है। पुनः दिनांक 27.01.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी। उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता है। आवेदक के द्वारा भी इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है बल्कि निष्पादन में विलम्ब करने का मंशा भी स्पष्ट प्रतीत होता है इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता हैं। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	